UPSP010073312026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी – **निशान्त देव**, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी.1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 3101/2026

सलीम पुत्र इस्लाम निवासी एकता कालोनी, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर ।
.... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य **......... अभियोजन**

विशेष वाद संख्या–2035/2023
मु0अ0सं0– 96/2022
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना– कुतुबशेर, जिला– सहारनपुर।

22–07–2026

प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सलीम** पुत्र इस्लाम की ओर से सत्र वाद संख्या–2035/2023, मु0अ0सं0–96/2022 अंतर्गत धारा– 8/20 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमती हाजरा पत्नी सलीम निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर का शपथपत्र दाखिल किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्यतः कथन किये गये हैं कि प्रार्थी वाद उपरोक्त में माननीय न्यायालय से जमानत पर था तथा प्रार्थी मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा मजदूरी के लिए केरल चला गया था और केरल में फंसा होने के कारण अपने अधिवक्ता को सूचना नहीं दे सका था, जिस कारण प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद में प्रार्थी की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था, न ही पैरवी की गयी थी। जिस कारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट के आदेश पारित कर दिये गये थे। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। प्रार्थी बाहर फंसा होने के कारण न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाया था। प्रार्थी आगे हाजिर अदालत आता रहेगा। प्रार्थी दिनांक 12.07.2026 से जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायालय से अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 20.01.2025 को गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये थे। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त मजदूरी हेतु केरल गया था, जिस कारण वह न्यायालय के समक्ष

उपस्थित नहीं हो पाया। अभियुक्त दिनांक 12.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त जमानत हेतु उचित जमानती पेश करने को तैयार है।

उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार है। अतः प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सलीम** पुत्र इस्लाम की ओर से सत्र वाद संख्या–2035/2023, मु0अ0सं0–96/2022 अतंर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– (पचास हजार) रुपये का नया व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो नये प्रतिभू पत्र न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक : 22–07–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी. 1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.22 16:06:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur